फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री अजय चौधरी पिता श्री रामपाल चौधरी नि0 A-77 नई आबादी शहीद भगत सिंह मार्ग कांकरोली जिला राजसमन्द

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द – प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 पत्रावली संख्या 69/2024

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 04.09.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से जरिये पृष्ठांकित अपीलार्थी क्रमांकः एफ.1( )सू0अ0,05/प्र.अ.69/2024/5010 दिनाक 28.08..2024 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अपीलान्ट का आवेदन पत्र दिनांक 25.06.2024 का सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आरटीआई अनुभाग को 26.06.2024 को प्रस्तुत किया। प्रार्थी के आवेदन में इप्सित सूचना का संबंध कार्यालय के भू–अभिलेख व भूमि अवाप्ति अनुभाग से होने से इस कार्यालय द्वारा प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख अनुभाग व भूमि अवाप्ति अनुभाग को पत्रांक 3088–3090 दिनांक 28.06.2024 को प्रेषित किया गया। प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख अनुभाग के पत्रांक 4990–4991 दिनांक 02.07.2024 से इस कार्यालय एवं प्रार्थी को जरिये डाक से अवगत कराया कि उक्त सूचना भूमि अवाप्ति अनुभाग से संबंधित हैं। प्रभारी अधिकारी भूमि अवाप्ति अनुभाग के पत्रांक 615 दिनांक 08.07.2024 से अवगत कराया कि वांछित सूचना कार्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थी को सूचना के अधिकार अधिनियम 2055 के तहत इस कार्यालय के पत्राक 4093 दिनांक 20.08.2024 से जरिये रजिस्टर्ड डाक से पत्र प्रेषित कर सूचित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना कार्यालय से संबंधीत और रिकॉर्ड के अनुसार उपलब्ध नहीं होने एवं इस संबंध में लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द के जरिये पत्र क्रमांकः 4093 दिनांक 20.08.2024 से अपीलार्थी को सूचित किये जाने से उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)